दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 338/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना श्रीनगर में थाना समाधान दिवस पर जनसुनवाई कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 11.07.2026 को "थाना समाधान दिवस" के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना श्रीनगर पहुँचकर क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई की गई। यह जनसुनवाई थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा सभी शिकायतों के निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया गया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर प्राप्त शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण सुनिश्चित करना है।
- इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कुलपहाड़ में पहुंचकर जनसुनवाई की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना कोतवाली नगर में जनसुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 339/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

पुलिस मुठभेड़ में चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, नकद धनराशि, अवैध असलहा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 07.07.2026 को वादी महेश्वरीदीन गुप्ता पुत्र लखनलाल निवासी कस्बा व थाना सरवई, जनपद छतरपुर (म0प्र0) द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पर तहरीर दी गई कि वह नवीन गल्ला मण्डी स्थित संतोष की गद्दी से नगद ₹1,00,000 प्राप्त कर ई-रिक्शा द्वारा प्राइवेट बस स्टैण्ड जा रहे थे। इसी दौरान सरकारी अस्पताल के सामने रिक्शे में बैठे अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी जेब से ₹50,000 निकाल लिए गए तथा मौके से फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 321/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए।

इसी क्रम में दिनांक 10/11.07.2026 की रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत करिया पठवा के पास से 04 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें 04 व्यक्तियों में से 01 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शेष 03 अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अभियुक्त विपिन गेहार*घायल हो गया तथा तीनों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त विपिन गेहार को उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। वर्तमान में उपचाराधीन हैं। जहां चिकित्सकों द्वारा उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि उन्होंने वादी की जेब से नगद धनराशि चोरी की थी।

पंजीकृत अभियोग-

पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 332/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा मूल अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विपिन गेहार पुत्र स्व0 अशोक, उम्र 30 वर्ष, निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन **(घायल)**
2. कमल गेहार पुत्र बब्बू गेहार, उम्र 25 वर्ष, निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद जालौन
3. पिंकिल पुत्र स्व0 रघुवीर गेहार, उम्र 32 वर्ष, निवासी पिलखनी, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात
4. करन कंजर पुत्र स्व0 मूलचन्द्र निवासी पिलखनी, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात (फरार)

बरामदगी का विवरण-

₹9,500/- नकद

वादी का आधार कार्ड व उसकी छायाप्रति

02 पासबुक (मध्यांचल ग्रामीण बैंक एवं SBI)

02 अवैध तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

02 खोखा कारतूस 315 बोर

01 मिस कारतूस 315 बोर

घटना में प्रयुक्त 01 अपाचे मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 भूपेंद्र सिंह – चौकी प्रभारी मेडिकल
3. का0 अमर नाथ 4. का0 प्रदीप मौर्य 5. का0 सुनील जाटव
6. का0 शिवनारायण 7. चालक हे0का0 सूरज सिंह चौहान 8. चालक का0 अजय कोरी

जनपदीय एसओजी/सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह 2. उ0नि0 विवेक यादव
3. कां0 अभिषेक वर्मा 4. कां0 दीपक वर्मा 5. कां0 रंजीत सिंह
6. कां0 निर्भय सिंह 7. कां0 सत्यम सिंह जादौन
8. कां0 कुलदीप यादव 9. कां0 नीलेश 10. कां0 अभिषेक दुबे

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विपिन गेहार पुत्र स्व0 अशोक निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन

1. मु0अ0सं0 139/18 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 340/22 धारा 3/2 ए एक्ट थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 363/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 120/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 ए एक्ट थाना आटा जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0 143/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन
6. मु0अ0सं0 210/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नवाबाद जनपद झांसी
7. मु0अ0सं0 212/25 धारा 109(1) बीएनएस व 25/27(3) ए एक्ट थाना नवाबाद जनपद झांसी
8. मु0अ0सं0 309/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
9. मु0अ0सं0 241/20 धारा 41/411 भादवि थाना नाका हिंडोला जनपद लखनऊ
10. मु0अ0सं0 243/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना नाका हिंडोला जनपद लखनऊ
11. मु0अ0सं0 494/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
12. मु0अ0सं0 4/23 धारा 395/412 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ
13. मु0अ0सं0 09/23 धारा 395/412 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ
14. मु0अ0सं0 23/23 धारा 395/412 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ

15. मु0अ0सं0 391/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ
16. मु0अ0सं0 321/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली महोबा
17. मु0अ0सं0 332/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त – पिंकिल पुत्र स्व0 रघुवीर गेहार निवासी पिलखनी, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

1. मु0अ0सं0 143/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 363/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 381/23 धारा 307/34 भादवि व 3/2 ए एक्ट थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 494/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नवाबाद जनपद झांसी
5. मु0अ0सं0 281/16 धारा 379/411 भादवि थाना नवाबाद जनपद झांसी
6. मु0अ0सं0 403/16 धारा 379/411 भादवि थाना नवाबाद जनपद झांसी
7. मु0अ0सं0 287/16 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद झांसी
8. मु0अ0सं0 262/21 धारा 41/411 भादवि थाना सैनी जनपद कौशांबी
9. मु0अ0सं0 263/21 धारा 3/2 ए एक्ट थाना सैनी जनपद कौशांबी
10. मु0अ0सं0 321/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली महोबा
11. मु0अ0सं0 332/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त – कमल गेहार पुत्र बब्बू गेहार निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद जालौन

1. मु0अ0सं0 212/25 धारा 109(1) बीएनएस व 25/27(3) बीएनएस थाना नवाबाद जनपद झांसी
2. मु0अ0सं0 210/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नवाबाद जनपद झांसी
3. मु0अ0सं0 321/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली महोबा
4. मु0अ0सं0 332/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 340/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह हे0कां0 राजकुमार, कां0 राहुल यादव व रि0कां0 अनिल कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, अपराध रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 11.07.2026 को रिवई गौशाला मोड़ के पास, चरखारी-मुस्करा मार्ग, बहद ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा से एक नफर अभियुक्त अर्जुन बसोर पुत्र राजू उर्फ चेतराम बसोर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा (हाल पता- मकान संख्या 84, जुम्मा कॉलोनी, हसनपुर भोवपुर IE साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद) को गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 149/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 मलखान सिंह
- हे0कां0 राजकुमार
- कां0 राहुल यादव
- रि0कां0 अनिल कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

- अर्जुन बसोर पुत्र राजू उर्फ चेतराम बसोर, उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा (हाल पता- जुम्मा कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद)

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (नाजायज)

दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 341/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, आज दिनांक 11.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

उक्त क्रम में उ0नि0 रोहित कुमार द्वारा तेलीपहाड़ी मोड़ से 01 नफर अभियुक्त मोतीलाल श्रीवास पुत्र स्व0 खेमचन्द्र उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद बोरी में 25 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड "झूम" नाजायज बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- उ0नि0 रोहित कुमार
- का0 करमवीर सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त:

- मोतीलाल श्रीवास पुत्र स्व0 खेमचन्द्र उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 342/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में गठित टीम उ0नि0 आकाश मौर्या मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा दिनांक 10.07.2026 को अभियुक्त दिपेन्द्र यादव उर्फ शीलू पुत्र महेश्वरीदीन उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बबेडी थाना कबरई जनपद महोबा को बबेडी बरिया मोड़ वहद ग्राम बबेडी थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 बोरी में 19 अदद ठेका देशी शराब ब्राण्ड "मस्तीह" नाजायज बरामद की गई।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 आकाश मौर्या

2.रि0आ0 आशीष कुमार

3.रि0आ0 अतुल सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त:

दिपेन्द्र यादव उर्फ शीलू पुत्र महेश्वरीदीन उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बबेडी थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी विवरण:

01 बोरी में 19 अदद ठेका देशी शराब ब्राण्ड "मस्तीह" नाजायज बरामद

दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 343/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती बन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्र/शराब/गांजा/जुआ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित टीम के उ0नि0 हरीशंकर यादव मय हमराह का0 प्रभात कुमार द्वारा आज दिनांक 11.07.2026 को ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त भारत पाल पुत्र सरमन पाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद मिस कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भारत पाल पुत्र सरमन पाल, उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद मिस कारतूस 12 बोर (नाजायज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 हरीशंकर यादव

2.का0 प्रभात कुमार

दिनांक- 11.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 344/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

संवेदनशील पुलिसिंग का असर

महोबा पुलिस ने 02 नाबालिगों को सुरक्षित किया बरामद...।

- आज दिनांक 11.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुमशुदा/अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण सिंह के दिशा-निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 114/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित दो गुमशुदा/अपहृत बालक प्रदीप सिंह पुत्र नारायन सिंह (उम्र लगभग 14 वर्ष) एवं सुनील जोशी पुत्र महेश जोशी (उम्र लगभग 14 वर्ष), निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को सकुशल बरामद किया गया।
- प्रकरण में दोनों गुमशुदा बालकों की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।
- इसी क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.07.2026 को दोनों बालकों को सकुशल बरामद कर लिया गया।
- बरामदगी के उपरांत दोनों बालकों को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- गुमशुदा बालकों की सकुशल बरामदगी पर परिजनों द्वारा महोबा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, सक्रियता एवं संवेदनशीलता की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।
- महोबा पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही से यह सिद्ध होता है कि जनपद पुलिस आमजन, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह

2.कां0 शुभम यादव